भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर,तहसील मालपुरा जिला टोंक

फा.सं. 6(399)ES/2019/ दिनांक 01.07.2022

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के शॉपिंग सेन्टर की सभी दुकानों को 03 वर्ष के लिए तालिका में वर्णित किराया के आधार पर किराये पर देने क प्रस्ताव है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपना प्रार्थना पत्र संस्थान के निदेशक महोदय को प्रस्तुत कर सकते है। दुकानों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ व खाली दुकानों की उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। निम्न सारणी में प्रस्तावित दुकानें किसी भी कार्य दिवस में स्वयं उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

क्र.सं0	*दुकान नम्बर*	*निर्धारित किराया*	*दुकान की किस्म*
1.	दुकान नं0 1 से 4 दुकान नं0 5 से 8 (वर्तमान में खाली दुकान नं0 5, 6 व 7)	रू.1000/– प्रति माह रू.800/– प्रति माह	फार्मेसी/दवाईयॉ, ज्यूस/फास्ट फूड/चाय /नमकीन मिठाई आदि। सब्जी, फल, दूध, आईसक्रीम, ब्रेकरी आईटम, किराणा सामग्री, ग्रोसरी आईटम, स्ट्रेशनरी, विधुत आईटम एवं विधुत संबंधित रिपेयर कार्य, सेलून/ब्यूटी पार्लर, दुपहिया वाहन रिपेयर एवं पंचर आदि कार्य। चक्की/टेलरिंग कार्य आदि रोजमर्रा से संबंधित वस्तुओं व सेवाओं के लिए।

निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें :–

1. दुकान आवंटन की अवधि दुकान अधिग्रहण तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा घटाया या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। आवंटन से पूर्व निर्धारित शर्तो के अनुसार एग्रीमेन्ट किया जाना होगा।
2. दुकानो का आवंटन फार्मेसी/दवाईयॉ, ज्यूस/फास्ट फूड/चाय /नमकीन मिठाई आदि। सब्जी, फल, दूध, आईसक्रीम, ब्रेकरी आईटम, किराणा सामग्री, ग्रोसरी आईटम, स्ट्रेशनरी, विधुत आईटम एवं विधुत संबंधित रिपेयर कार्य, सेलून/ब्यूटी पार्लर, दुपहिया वाहन रिपेयर एवं पंचर आदि कार्य। चक्की/टेलरिंग कार्य आदि रोजमर्रा से संबंधित वस्तुओं व सेवाओं के लिए किया जावेगा।
3. दुकान आवंटन दोनों तरफ से 30 दिनों के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता हैं। हालांकि निदेशक महोदय बिना किसी कारण बताए किसी भी समय दुकान आवंटन समाप्त करने / परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
4. आवंटित फर्म/व्यक्ति द्वारा ही दुकान को संचालित किया जायें। संस्थान में किसी भी जानवर को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी व संस्थान परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. दुकान में बेची जाने वाली वस्तुओं के लिए केवल उचित दर ही वसूली जावें और किसी भी स्थिति में मालपुरा बाजार की दरों से अधिक दरों पर शुल्क नहीं लेना होगा।
6. प्रत्येक त्रैमासिक स्तर पर दुकानों में सामग्री की दरें व गुणवत्ता, नियमों की पालना आदि की समीक्षा सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति से कराई जा सकती है व समीक्षा के आधार पर किसी भी दुकान के आवंटन रद्द करने आदि का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।
7. आवंटित दुकान को अन्य व्यक्ति के साथ उप–किरायेदारी (Subletting) की इजाजत नहीं होगी। दुकान आवंटन से पूर्व सुरक्षा राशि 5000/–(रू.2500/– दुकान सिक्यूरिटी एवं रू.2500/–मीटर सिक्यूरीटी) डीडी/NEFT/RTGS / डिजिटल पेमेन्ट एप के माध्यम से संस्थान खाते ICAR Unit CSWRI के नाम Bank Account No.51066000084 IFSC Code-SBIN0031088 में जमा करवाई जाये। जो कि दुकान खाली करने पर लौटाई जावेगी। सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार से कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
8. जल शुल्क 12 रूपये प्रति माह और बिजली खर्च का भुगतान विधुत इकाई को मीटर रीडिंग के अनुसार जमा कराना होगा।
9. मासिक किराया अग्रिम अथवा माह के अंतिम तारीख में आवश्यक रूप से डीडी/NEFT/RTGS / डिजिटल पेमेन्ट एप के माध्यम से संस्थान खाते ICAR Unit CSWRI के नाम Bank Account No.51066000084 IFSC Code-SBIN0031088 में जमा करवाई जाय व रसीद की प्रति प्रभारी, क्रय अनुभाग को सूचित करते हुए प्रभारी सम्पदा अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा प्रति दिन 5/– की दर से विलम्ब शुल्क जमा करवाना होगा। दुकान के पिछले माह के बिजली/पानी बिल भुगतान की रसीद प्रत्येक माह प्रभारी, क्रय अनुभाग को सूचित करते हुए प्रभारी सम्पदा अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा ऐसा नहीं करने पर दुकान का आवंटन तत्काल प्रभाव रदद करते हुए उसकी अमानत राशि व दुकान में उपलब्ध सामग्री आदि जब्त कर ली जावेगी व यथोचित प्रशासनिक कार्रवाई भी की जायेंगी।

............2/–

10. दुकान में सभी सुरक्षा उपाय स्वंय द्वारा रखा जावेगा। संस्थान चोरी, आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
11. दुकान एवं दुकान के आस–पास सफाई दुकानदार को रखनी होगी। दुकानों का बरामदा पूर्ण रूप से हमेशा खाली रखना होगा।
12. दुकानदार ग्राहकों के साथ शिष्टाचार एवं अच्छे व्यवहार करेंगे और समय–समय पर निदेशक द्वारा जारी किसी भी निर्देशों का पालन करना होगा। नियमों और शर्तो का उल्लंघन करने पर सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।
13. दुकान में उपयोग आने वाले बल्ब, ट्यूबलाईट आदि स्वंय अनुबन्धकर्ता के होंगे। दुकान और परिसर को एक साफ सुथरी स्थिति में बनाए रखना होगा।
14. दुकान में निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित दुकान में कोई संशोधन और परिवर्तन वर्जित हैं।
15. दुकानदार द्वारा संस्थान में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नुकसान होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई संबंधित निर्णय संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
16. आवंटन तारीख से 03 दिवस के भीतर दुकान पर कब्जा नहीं करने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा और वह दुकान उस अवधि के बाद आने वाले अन्य आवेदक को आवंटित कर दिया जावेगा।
17. यदि किसी समय एक प्रकार की सामग्री या सेवा की आपूर्ति / बिक्री के लिए न्यूनतम दो दुकाने होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे उसी प्रकार की सामग्री या सेवा की आपूर्ति के लिए अन्य दुकान आवंटित करें अथवा न करें। सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार भी सुरक्षित होगा कि किसी समय विशेष में उपलब्ध खाली दुकान परिसर आवासियों की सुविधा के लिए किसी वस्तु या सेवा विशेष की बिक्री के लिए चिन्हित कर सकते है।
18. संस्थान के निदेशक महोदय को बिना कारण बताये कभी भी निविदा रद्द करने / स्वीकार करने का अधिकार पूर्ण सुरक्षित है। सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद हाने पर अंन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान अविकानगर का होगा।

(संजय शर्मा)
प्रभारी, क्रय अनुभाग

वितरणः–

1. प्रभारी, ए.के.एम.यनिट को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
2. सभी सूचना पट्ट अविकानगर
3. सचिव नगर पालिका, मालपुरा
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मालपुरा
5. ग्राम पंचायत चांदसेन / डिग्गी